GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No F. 1(4)DOP/A-II/2010 Jaipur, dated: 23/09/2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Garage Service (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Motor Garage Service Rules,1958,-

(i) in column number 6 against serial number 1, for the existing expression "Senior Automobile Engineer/Automobile Engineer", the expression "Senior Automobile Engineer & Store Officer/ Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted;

(ii) in column number 7 against serial number 1, for the existing expression "3 years' experience on the post of Senior Automobile Engineer mentioned in column No. 6 or 5 years' experience on the post of Automobile Engineer mentioned in column No. 6", the expression "3 years' experience on the post of Senior Automobile Engineer & Store Officer mentioned in column number 6 or 5 years' experience on the post of Automobile Engineer & Store Officer mentioned in column number 6" shall be substituted;

(iii) in column number 8 against serial number 1, for the existing expression "if suitable Senior Automobile Engineer is not available for promotion, the post of Chief Superintendent may be filled from Automobile Engineer", the expression "if suitable Senior Automobile Engineer & Store Officer is not available for promotion, the post of Chief Superintendent may be filled from Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted;

(iv) in column number 2 against serial number 2, for the existing expression "Senior Automobile Engineer", the expression "Senior Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted;

(v) in column number 6 against serial number 2, for the existing expression "Automobile Engineer/Store Officer", the expression "Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted; and

(vi) in column number 2 against serial number 3, for the existing expression "Automobile Engineer/Store Officer", the expression "Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted.

By order and in the name of Governor,

23/9/24

(Dinesh Kumar Sharma)
Joint Secretary to the Government.

49/2024

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ. 1(4)डीओपी/ए-II/2010 जयपुर, दिनांक: 23/09/2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958 को और संशोधित के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958 से संलग्न अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामनें स्तम्भ संख्यांक 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता /आटोमोबाइल अभियंता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी/आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "स्तम्भ सं.6 में उल्लिखित वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता के पद पर 3 वर्ष का अनुभव या स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित आटोमोबाइल अभियंता के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्तम्भ सं.6 में उल्लिखित वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी के पद पर 3 वर्ष का अनुभव या स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता उपलब्ध नहीं हो तो मुख्य अधीक्षक का पद आटोमोबाइल अभियंता से भरा जा सकेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो मुख्य अधीक्षक का पद आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी से भरा जा सकेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियन्ता/भण्डार अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता/भण्डार अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

23/9/24

(दिनेश कुमार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव।

49/2024

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन *03,* बुधवार*, शाके 1946*-सितम्बर 25*, 2024* *Asvina 03, Wednesday, Saka 1946- September 25, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2024

जी.एस.आर.40 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958 को और संशोधित के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958 से संलग्न अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता /आटोमोबाइल अभियंता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी/आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "स्तम्भ सं.6 में उल्लिखित वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता के पद पर 3 वर्ष का अनुभव या स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित आटोमोबाइल अभियंता के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्तम्भ सं.6 में उल्लिखित वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी के पद पर 3 वर्ष का अनुभव या स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता उपलब्ध नहीं हो तो मुख्य अधीक्षक का पद आटोमोबाइल अभियंता से भरा जा सकेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो मुख्य अधीक्षक का पद आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी से भरा जा सकेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियन्ता/भण्डार अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता/भण्डार अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता एवं भण्डार अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ. 1(4)डीओपी/ए-II/2010]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 23, 2024

G.S.R.40 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Garage Service (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Motor Garage Service Rules,1958,-

(i) in column number 6 against serial number 1, for the existing expression "Senior Automobile Engineer/Automobile Engineer", the expression "Senior Automobile Engineer & Store Officer/ Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted;

(ii) in column number 7 against serial number 1, for the existing expression "3 years' experience on the post of Senior Automobile Engineer mentioned in column No. 6 or 5 years' experience on the post of Automobile Engineer mentioned in column No. 6", the expression "3 years' experience on the post of Senior Automobile Engineer & Store Officer mentioned in column number 6 or 5 years' experience on the post of Automobile Engineer & Store Officer mentioned in column number 6" shall be substituted;

(iii) in column number 8 against serial number 1, for the existing expression "if suitable Senior Automobile Engineer is not available for promotion, the post of Chief Superintendent may be filled from Automobile Engineer", the expression "if suitable Senior Automobile Engineer & Store Officer is not available for promotion, the post of Chief Superintendent may be filled from Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted;

(iv) in column number 2 against serial number 2, for the existing expression "Senior Automobile Engineer", the expression "Senior Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted;

(v) in column number 6 against serial number 2, for the existing expression "Automobile Engineer/Store Officer", the expression "Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted; and

(vi) in column number 2 against serial number 3, for the existing expression "Automobile Engineer/Store Officer", the expression "Automobile Engineer & Store Officer" shall be substituted.

[No F. 1(4)DOP/A-II/2010]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.